राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी" भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

upmandiparishad.upsdc.gov.in

पत्रांक–मु0–अनु0 / 16 ए0पी0सेन रोड–कि0) / 2020– 647 दिनांक 03.01.2020

–:कार्यालय हेतु स्थान उपलब्धः–

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 द्वारा पुराने परिषद मुख्यालय परिसर 16 ए0पी0सेन रोड (निकट चारबाग) लखनऊ में निर्मित कराये गये बहुमंजिले कार्यालय भवन (भूतल से सप्तम तल) को केन्द्रीय/प्रादेशिक,सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कार्यालय प्रयोगार्थ किराये पर दिया जाना है। भवन में समस्त तलों पर आने जाने हेतु लिफ्ट, पावर बैकअप हेतु परिसर में 380 के0वी0ए0 के दो जनरेटरों की सुविधा एवं पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। भूतल से सप्तम तल तक पृथक–पृथक अथवा सम्पूर्ण भवन को एक ही विभाग/मल्टीनेशनल कम्पनी को किराये पर दिया जा सकता है। बहुमंजिले भवन का भूतल से चतुर्थ तल तक के प्रत्येक तल का कारपेट एरिया 839.46 वर्ग मीटर तथा पंचम तल से सप्तम तल के प्रत्येक तल का कार्पेट एरिया 541.77 वर्ग मीटर है।

अतएव इच्छुक सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विभागाध्यक्षों/कार्यपालकों अथवा अधिकृत सक्षम स्तर के अधिकारी भवन को किराये पर लेने हेतु किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में उपनिदेशक (निर्माण) मुख्यालय–अनुरक्षण खण्ड प्रथम तल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय में सम्पर्क कर **दिनांक 04.02.2020** तक अपने प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं। किराये पर दिये जाने सम्बन्धी नियम एवं शर्तों की जानकारी परिषद की वेबसाइट **upmandiparishad.upsdc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

नियम एवं शर्ते

1. किराये के अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लगने वाले टैक्स जी0एस0टी की धनराशि आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।
2. आवंटी को भवन में टेलीफोन, इण्टरनेट आदि की व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत स्वयं करनी होगी। इसमें विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
3. समस्त तलों में आन्तरिक साज–सज्जा, विद्युतीकरण, विद्युत फिटिंग्स, ए0सी0 डक्टिंग, पाइपिंग, इण्डोर यूनिट आदि कार्य आवंटी को स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
4. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तल अथवा सम्पूर्ण भवन केवल एक विभाग सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्था/लिमिटेड कम्पनी आदि को आवंटित किया जा सकता है।
5. किसान मण्डी भवन की भॉति किराये पर आवंटित स्थान का लीज एग्रीमेन्ट 03 वर्ष के लिए किया जायेगा। 03 वर्ष पश्चात निर्धारित किराये की धनराशि पर 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लीज एग्रीमेन्ट का नवीनीकरण किया जायेगा।
6. कामन एरिया (पार्किंग, पैसेज,लिफ्ट लाबी सोपान आदि) तथा भवन के बाहरी भाग की साफ–सफाई हाउस कीपिंग सम्बन्धी कार्य, प्रकाश व्यवस्था एवं लिफ्ट आदि पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
7. भवन की सुरक्षा व्यवस्था, फायर फाईटिंग आदि कार्यों हेतु सुरक्षा गार्ड, फायर मैन आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी।

8. किराये पर आवंटित स्थान के आन्तरिक भाग, शौचालय की साफ–सफाई, अनुरक्षण रख–रखाव आवंटी / किरायेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
9. उपनिदेशक(वि0 / यॉ0), मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा समस्त तलों पर विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार वास्तविक विद्युत खपत बिल की वसूली हेतु सबमीटर स्थापित किया जायेगा। वास्तविक खपत बिल की वसूली प्रत्येक माह किराये के अतिरिक्त अलग से की जायेगी।
10. भवन का गृहकर, सीवर कर, एवं जल कर विभाग द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा।
11. आवंटी को आन्तरिक साज–सज्जा सम्बन्धी कार्य कराने से पूर्व ड्राइंग डिजाइन तथा ले–आउट प्लान विभाग से अनुमोदित कराना होगा तथा भवन के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
12. पावर बैकअप हेतु स्थापित जनसेट पर होने वाले व्यय का वहन विभाग द्वारा किया जायेगा।
13. बहुमंजिले कार्यालय "मण्डी भवन" के संचालन नीति में समय–समय पर आने वाली समस्याओं के निराकरण (सिविल एवं विद्युत / यॉत्रिक) हेतु आवश्यकता पडने पर समिति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों में संशोधन / परिवर्तन किया जा सकता है।
14. सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों को छोड़कर अन्य सभी आवंटियों को तीन माह के किराये के बराबर धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा।
15. सम्बन्धित आवंटी / संस्था / विभाग भवन किराये पर लिए जाने हेतु दिनांक 04.02.2020 तक अपने प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं।
16. विभाग द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर आवंटी संस्था एवं मण्डी परिषद / विभाग के मध्य 03 वर्ष हेतु लीज एग्रीमेन्ट किया जायेगा। लीज एग्रीमेन्ट हेतु निबन्धन विभाग द्वारा वॉछित स्टाम्प ड्यूटी पर आने वाला व्यय आवंटी / किराये पर लेने वाली संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
17. भवन में कारपेट क्षेत्रफल के किराये की दर न्यूनतम रू0 401.00 प्रति वर्गमीटर प्रति माह है। न्यूनतम दर अथवा अधिक दर पर किराये पर लेने हेतु अपना प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं।
18.

03/01/2020
(इन्दल प्रसाद)
उपनिदेशक(नि0) मु0–अनु0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, निदेशक / अपर निदेशक(प्र0) को निदेशक / अपर निदेशक(प्र0) महोदय के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता ग्रेड–2 / 1 मण्डी परिषद।
3. संयुक्त निदेशक)नि0)जोन–1, मण्डी परिषद।
4. उपनिदेशक(प्र0 / विप0) मण्डी परिषद।
5. उपनिदेशक(वि0 / यॉ0) मण्डी परिषद, लखनऊ।
6. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता, मु0–अनु0खण्ड मण्डी परिषद, लखनऊ
7. सहायक लेखाधिकारी, मु0–अनु0 खण्ड, मण्डी परिषद, लखनऊ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विभाग की बेवसाइ पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

03/01/2020
उपनिदेशक(नि0) मु0–अनु0

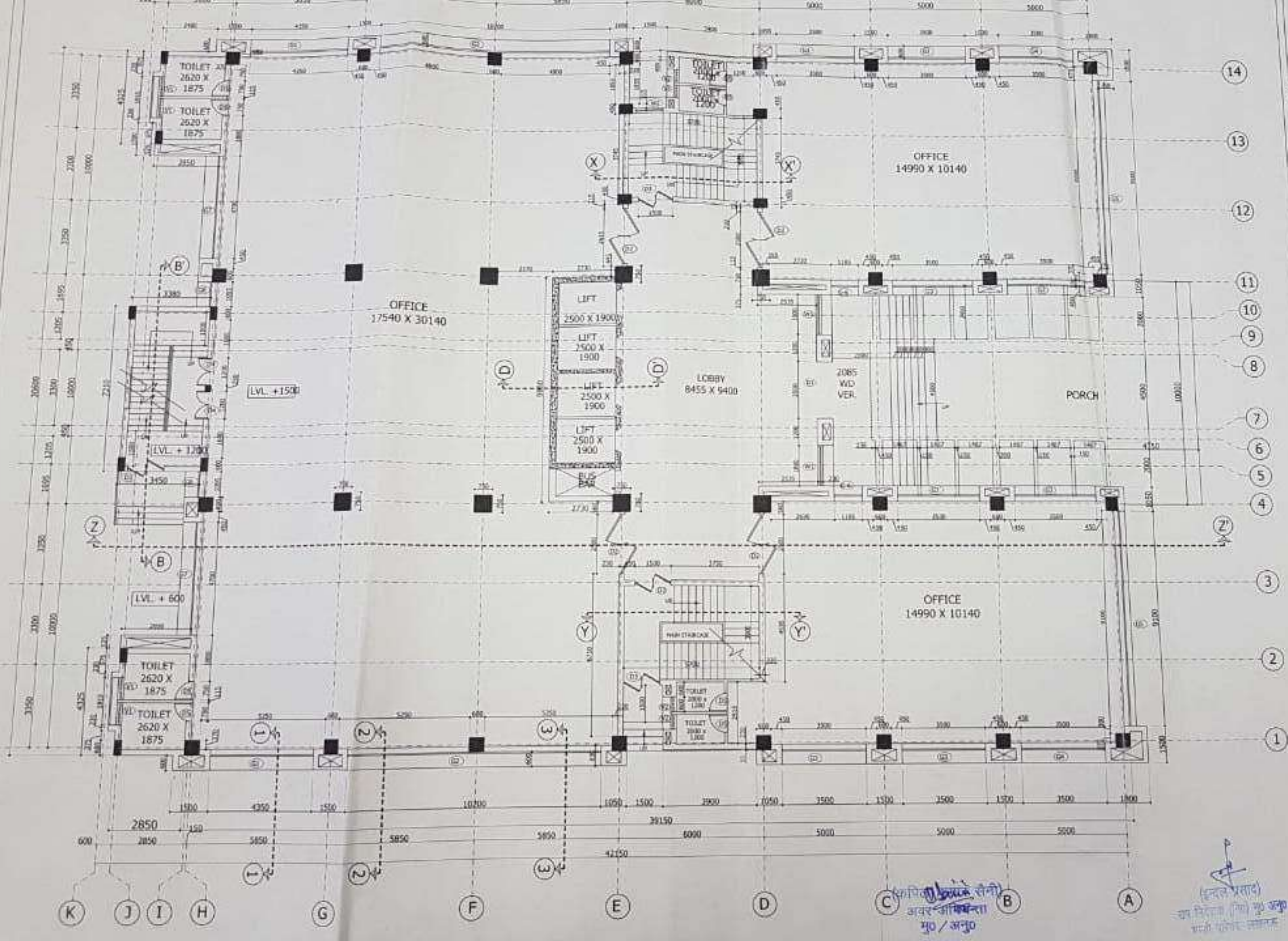

KRISHI UTPADAN
MANDI PARISHAD
AT 16, A.P. SEN ROAD,
LUCKNOW.

NOTES :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN M M UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
2. ONLY FIGURED DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED NEITHER THE BARS SHALL BE COUNTED NOR THE DIMENSIONS SCALED FROM THE DRG.
3. ANY DESCREPANCY IN THE DRGS SHALL BE BROUGHT TO THE NOTICE OF ARCHITECT/CONSULTANT AND CLARIFICATION OBTAINED IN WRITING PRIOR TO EXECUTION OF WORK.

Drawing Title :-

GROUND FLOOR PLAN

Sheet No. :- AR - 03

Date :-

Architect :-

Ar. ARVIND GUPTA
Ar. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA

Consultants:-

DESIGNER'S WING

414-A & 426-B 4TH FLOOR
SAHARA SHOPPING CENTRE
FAIZABAD ROAD, LUCKNOW-22601
CELL :- 9415150500,
TEL & FAX :- 0522-2311748,4005
EMail : designers_wing@yahoo.com
Website : www.designerswing.org

Designed By - DESIGNER'S WING, 414-A,4th FLOOR , SAHARA SHOPING CENTER, LUCKNOW

Constructed By- DY. DIRECTOR (Construction) HQ/M, MANDI PARISHAD,K.M.B,LUCKNOW